फायरिंग कर की डकैती का पर्दाफाश, सभी आरोपियों को 12 घंटों में गिरफ्तार किया

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ तहसील के गोठ्या बडी के सरपंच के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम देने व सरपंच पुत्र को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने चार डकैतों को बापर्दा व एक ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार करने में बडी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस की आमने-सामने मुठभेड़ में घायल हुआ एक डकैत अस्पताल में उपचाराधीन है।

प्रकरण अनुसार सुनील गोस्वामी निवासी इन्दासर हाल सरपंच गौठ्या बडी ने लिखित रिपोर्ट दी की कि वह अपने परिजनों के साथ गत रात्रि को सोया हुआ था। तभी छह अज्ञात लोग दीवार फांदकर उसने घर में घुसे। इस दौरान सभी जाग गये व उसके बेटे पुनीत ने पीछा करते हुए एक आरोपी को चौक में पकड लिया, जिसने पुनीत गोस्वामी को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई जो उसके कंधे में लगी। गोली की आवाज व परिजनो का हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीणजन भी जाग गये। डकैत फायर करने से पूर्व उसके घर से सोने-चांदी के आभूषण व नगद रूपये निकाल कर ले गये। वहीं प्रकरण में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने सभी डकैतों का गत रात से लगातार पीछा। इसी दौरान गांव मांगला जोहडी में डकैती के एक आरोपी द्वारा पुलिस से बचकर भागने व पुलिस को भयभीत करने के लिए थानाधिकारी सुभाष चन्द्र पुलिस निरीक्षक व उसकी टीम पर फायरिंग की।

राजगढ थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार डकैत

इस दौरान आरोपी डकैत को हथियार के साथ दबोच लिया तथा पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिससे डकैती के एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तथा वारदात करने वाले अन्य सभी पाँच आरोपियों को गिरफतार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि घटना में शामिल गिरफ्तार आरोपी काफी शातिर व अव्वल दर्जे के बदमाश है, जिनके द्वारा राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में वारदातें की गई हैं। एसपी मीना ने बताया कि डकैती के बापर्दा गिरफ्तार आरोपी भूरा पुत्र विजयपाल कश्यप निवासी जिला गाजियाबाद, राजकुमार कश्यप जिला गाजियाबाद हाल बवाना रोड शाबा डेयरी दिल्ली, गुलशन उर्फ पोली कश्यम निवासी जिला गाजियाबाद, राजू उर्फ नन्हे कश्यप निवासी जिला गाजियाबाद तथा ग्रामीणों द्वारा मौके पर पकडे गये

- **पुलिस व एक आरोपी की हुई आमने-सामने मुठभेड़ में घायल को दबोचा, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एक आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार**

आरोपी सागर कश्यम निवासी बनथला पुलिस थाना लोनी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। आपसी मुठभेड एनकाउंटर में घायल लखमी उर्फ लखमीचन्द्र पुत्र श्रीराम उर्फ सरनाम कश्यम निवासी जिला गाजियाबाद अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रकरण में दो टेवटा, दो हार, आठ चुडी, दो मंगल सूत्र, दो चेन, चार लौकेट, दो छोटे लॉकेट, दो रखडी, चार अंगुठी, एक कडा, पाँच अंगुठी मर्दाना, एक झुमकी, एक मंगलसूत्र बिमला का, दो अगुठी जनाना, एक जोडी कान के बाले, सोने के दो बाजूबंद, कुल करीबन 45 तोला सोना के जेवरात व पाँजेब, दो कमर बंद, तीन कटोरी, चार गिलास, बच्चों के हाथ पैर के कडे, चम्मच, चांदी के सिके आदि कुल करीबन चांदी के सामान को करीब 18० तोला तथा 8 लाख 40 हजार रूपये नगदी उनके घर से चोरी कर ले गये।

घायल की उपचार के दौरान मौत

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ में हिसार बाईपास सडक पर 18 जून को एक मोटरसाईकिल चालक द्वारा मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवाही से चलाने के कारण पीछे बैठे व्यक्ति के गिरने से घायल की 22 जून को रोहतक पीजीआई अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसका शनिवार को राजगढ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। राजगढ थाने के राकेश कुमार को सोंपी रिपोर्ट में जयवीर सिंह पुत्र दीवान सिंह उर्फ दीवाना जाट उम्र 55 साल निवासी गढी कैमरी रोड हिसार हरियाणा ने इस आरोप का मामला दर्ज करवाया है कि 18 जून को उसका छोटा भाई कृष्ण जाट निवासी जिला हिसार उनकी रिस्तेदारी में गया था, वहां हिसार बायपास राजगढ में करीब रात के 11 बजे मोटरसाईकिल से वापिस आ रहे थे तथा मोटरसाईकिल को प्रदीप पुत्र रतन सिंह निवासी गुलपुरा मोड राजगढ चला रहा था तथा उसका छोटा भाई कृष्ण पीछे बैठा था। तभी प्रदीप ने मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवाही से चलाई, जिससे कृष्ण निचे गिर गया तथा उसके सीर मे चोट लगी। जिसको राजगढ से रेफर कर दिया गया, तो उसको वह तथा उसका भांजा सोमवीर गागाडवास उसे हिसार सपरा अस्पताल में लेकर गये।

समय पर नहीं पहुंच रहे कर्मचारी व अधिकारी

चूरू, (कासं)। जिला मुख्यालय पर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी अपनी मन-मर्जी पर ऊतारू है जहां पर कर्मचारी विभागीय समय में ही विभाग में नहीं पहुंच रहे हैं और इनका संज्ञान लेने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों का हाल एक जैसा ही हैं कलेक्ट्रेट परिसर में भी हालात काफी खराब हैं। कर्मचारी अपनी मनमर्जी से आते हैं और मन मर्जी से जाते हैं। कोई कहने सुनने वाला ही नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने बताया कि केवल कर्मचारी ही नहीं शीर्ष अधिकारियों के हाल भी ऐसे ही हैं कार्यालय समय से देरी से पहुंचते है और पहले निकलते हैं। विभाग में इस प्रकार हो रही लापरवाही पर जिला कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए और संबंधित कार्मिकों को चाहे व वरिष्ठ अधिकारी हो या कर्मचारी तुरंत प्रभाव से उनपर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें एक यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि कई सरकारी विभागों में पूर्व में डिजीटल उपस्थिति के लिए मशीने लगाई गई थी। जिनमें कर्मचारियों का समय पर पहुंचना ही पडता था क्योंकि वह

- **सरकारी विभागों में डिजीटल मशीन का अभाव**

निर्धारित समय तक ही उपस्थिति को स्वीकार करती थी लेकिन अधिकारी व कर्मचारी जिस पर मनमर्जी से मनमाने समय पर पहुंच रहे हैं इससे यह बात तो स्पष्ठ हैं कि उन मशीनों का उपयोंगे भी बंद हो गया है। जानकार सूत्रों ने बताया कि आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहां पर डिजीटल हाजरी ली जाती हो इसमें यह सवाल उठता हैं कि फिर आखिर मशीनो को लगाने का ही क्या फायदा हुआ। हालांकि जहां पर इस प्रकार डिजीटल मशीने नहीं लगी हैं उन कार्यालयों को जल्द से जल्द डिजीटल मशीनों से जोड़ा जाना चाहिए।

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा18(2)के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 49/2023(नाम वार्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रतनलाल स्वामी पुत्र श्री रामेश्वर स्वामी निवासी वार्ड नं.6, धोला मेड, ग्राम मनकसास तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ने राजस्थान राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री रघुनाथ जी मंदिर ट्रस्ट, धोला मेड ढाणी, ग्राम मनकसास, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने कि लिए आवदेन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोइ हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 23.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 28.8.2023

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

बेमियादी पड़ाव की चेतावनी

खेतड़ी, (निसं)। नीमकाथाना से हटाओ झुंझुनूं में मिलाओ संघर्ष समिति उतर पश्चिमी क्षेत्र तहसील खेतड़ी के अध्यक्ष कामरेड रामचंद्र कुलहरि, संरक्षक पूर्व प्रधान बजरंगसिंह चारावास, उपाध्यक्ष कामरेड इंद्राजसिंह चारावास व सचिव कामरेड रविंद्र पायल ने आ रही चर्चाओं, जिसमें संपूर्ण खेतड़ी क्षेत्र को नीमकाथाना जिले में शामिल करने की बात हो रही है। उस पर हैरानी जाहिर करते हुए संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह की लोयल में की गई घोषणा क्या क्षेत्रीय जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। लंबे समय से ग्राम पंचायत लोयल, चारावास, मानोता जाटान की संपूर्ण ग्राम पंचायतें व ग्राम पंचायत नंगली सलेदीसिंह, बड़ाऊ, रसुलपुर के राजस्व ठाम नंगली सलेदीसिंह, चरणसिंहनगर, शिवनगर व रसुलपुर झुंझुनूं में रहने के इच्छुक होने के बावजूद तथा छह ग्राम पंचायतों की ठाम सभाओं के झुंझुनूं जिले में रहने के प्रस्ताव व क्षेत्रीय समर्थकों के बार बार गुहार लगाने के बावजूद नीमकाथाना में जबरदस्ती धकेलने की कार्रवाई क्षेत्रीय जनता की जनभावनाओं का अनादर है।

भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी : राठौड़

चूरू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

चूरू, (कासं)। जिला मुख्यालय पर शनिवार को स्थानीय मातुश्री टाऊन हॉल में भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें बोलते हुऐ नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा का परिवार बहुत बड़ा है और पार्टी के ये सभी मोर्चे पार्टी के आंख नाक कान की तरह काम करते हैं।

उन्होने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है। इसके पिछे कुशल नेतृत्व एवम् सभी कार्यकर्ताओ का कठोर परिश्रम है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्र सरकार की विभिन्न जनहित कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी घर घर जाकर जानकारी दे रहे है।

प्रचंड गर्मी में हो रही विद्युत कटौती

चूरू, (कासं)। जिला मुख्यालय पर प्रचंड गर्मी अपने रंग दिखाने लग गई हैं। वहीं दूसरी और विद्युत विभाग से भी आम जनता त्रस्त आ रही है। शनिवार सुबह सात बजे ही स्टेशन रोड आदि स्थानों पर विद्युत विभाग द्वारा ढाई घंटे की विद्युत कटौती की गई। जिस कारण सुबह के समय ही आम आदमी परेशान होते नजर आया। वहीं पूरे दिन भर में प्रतिदिन सात से आठ बार लाईट काट देने से मुख्य शहर के व्यापारी से लेकर निवासी तक सभी परेशान होते है। प्रचंड गर्मी में जहां एक और लोग घरो से बाहर निकलने से ही बचते हैं वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग की इस प्रकार की अघोषित तरीके से बार-बार कटौती के कारण आम आदमी परेशान होता नजर आ रहा है। हर वर्ष ही गर्मी में विद्युत विभाग इन अघोषित कटौतियों से निपटने के लिए समाधान का बोलता हैं लेकिन स्थाई समाधान नहीं कर पा रहा है। दिन में आठ से दस बार विद्युत कटौती होना आम बात हो गई है। जिला प्रशासन में आम जनता की मूलभुत सुविधाओं पर ध्यान देने की बजाएं खानापूर्ति करते नजर आ रहा है। शहर की जनता की स्थिति तो ऐसी हो गई हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।

उपसभापति व पार्षद ने एक दूसरे पर मुकदमें दर्ज करवाए

चूरू, (कासं)। जिला मुख्यालय पर गत 22 जून को नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई थी। जिसमें हुए हंगामें थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सभापति पायल सैंनी पर गलत व झूठे बयान देने के आरोप लगाएं व कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अब शुक्रवार देर पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमें दर्ज करवाएं है।

मामला इस प्रकार था कि उप सभापति और कुछ पार्षदों के बीच विवाद हो गया था। जिसको लेकर दोनों पक्षों ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया हैं। अब कोतवाली पुलिस उन पर संज्ञान लेगी। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने बताया कि नगर परिषद उप सभापति नसीम निशा ने रिपोर्ट दी कि नगर परिषद की साधारण सभा बैठक में वह अपने स्थान पर बैठी थी। इस दौरान सीताराम खटीक और पार्षद घनश्याम अलवरिया ने सीट से नीचे उतारने की बात कहते हुए हंगामा करते हुए दुर्व्यवहार किया। बैठक खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकली तो सीताराम खटीक, घनश्याम अलवरिया, चंदा देवी, मनीष खटीक और 4 अन्य ने उसके और उसके पति रमजान खान के साथ धक्का-मुक्की करने के साथ ही मारपीट की और गले से सोने का हार भी छीन लिया। दूसरी ओर से पार्षद घनश्याम अलवरिया ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि नगर परिषद की साधारण सभा मे गिरधारी भामी, विनोद, चंदा देवी ने ऑब्जेक्शन किया कि नियमानुसार सभा में 2 अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं और उप सभापति को पार्षदों के साथ नीचे बैठने की बात कही।

इस बात पर मीटिंग हॉल के बाहर खड़े उप सभापति के पति रमजान खान ने अन्य लोगों को फोन कर बुलाया और जातिसूचक गालियां निकालते हुए मारपीट की। आरोपियों ने पार्षद चंदा देवी से दुर्व्यवहार किया। इसको लेकर अब कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हो गया हैं और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है।

अतिक्रमियों के हौसले बुलंद

चूरू, (कासं)। जिला मुख्यालय के पूनिया कॉलोनी के निवासियों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण करने व रास्ता रोकने वाले पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि वार्ड संख्या 33 पूनिया कॉलोनी के गली नं 14 में आम रास्ते पर अनिल घायल निवासी सिरसली व हेमराज सहारण निवासी पूनिया कॉलोनी ने आम रास्ते पर पक्का निर्माण व कांटेदार बाई बनाकर उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया हैं और अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जब कॉलोनीवासियों द्वारा जब उक्त दोनो व्यक्तियों को कहा गया तो दोनो व्यक्ति कॉलोनीवासियों के साथ गाली.गलौच व मारपीट करने की कोशिश करने लगे। जिस कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया है तथा शांतिभंग व खून. खराबा होने की नौबत तक आ गयी है तथा कभी भी उक्त रास्ते को लेकर जान.माल का नुकसान हो सकता है। आश्चर्य की बात तो यह ही भी हैं कि कॉलोनी वासियों ने 13 अप्रैल को इस बारे में लिखित शिकायत नगर परिषद के आयुक्त को दी थी लेकिन आश्चर्य की बात रही की अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। गौरतलब रहे कि जब शिकायत मिलने के दो माह बाद भी नगर परिषद ने इस पर कार्यवाही नहीं की तो बाकि शहर में जहां पर काई शिकायत करने वाल ही नहीं वहां पर हाल कैसा रहेंगा। नगर परिषद द्वारा दो माह बीत जाने के बाद भी कार्यवाही न करना आश्चर्य का विषय हैं। नगर परिषद का शिकायत होने के बाद भी कार्यवाही न करना इस बात की और भी इशारा करता हैं कि चूरू नगर परिषद में कितनी पारदर्शिता हैं और अन्य शिकायतों पर भी कितना ही अमल किया जाता होंगा। ज्ञापन देने वालों में रमेश शर्मा, पीयूष, चन्द्रा , अखिलेश, प्रदीप , सुभाष, मनोज, मनीराम, अभिनव , अंजू आदि शामिल रहें।

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा18 (2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 48/2023 (नाम वार्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री संदीप कुमार रामुका पुत्र श्री किशन लाल निवासी वार्ड नं.21, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मॉ शाकम्भरी सेवा समिति सकराय धाम तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने कि लिए आवदेन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 23.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 28.8.2023

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

मंथली नहीं देने पर पिकअप गाड़ी पर फायर किया

खेतड़ी, (निसं)। बीती रात को खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र में दो जगह फायरिंग की वारदात हुई। मानोता कलां में शराब ठेके पर मंथली रुपए नहीं देने पर बदमाशों ने आग लगाने व फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। मामला देर रात को होने की बात सामने आई है।

इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी से एक खोल भी बरामद कर लिया। शराब ठेके के सेल्समैन गुढ़ा पौंख निवासी रोशनलाल ने बताया कि वह मानोता कलां के शराब ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करता है। रात करीब 11 बजे वह ठेके के बाहर सो रहा था। इस दौरान दीवार फांद कर मानोता खुर्द निवासी धर्मवीर ऊर्फ धर्मा, यादराम व दो-तीन अन्य युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगाकर ठेके की चाबी मांगी। इस दौरान वह सैल्समैन से जबरन चाबी लेक ठेके में घुस गए। जहां उन्होंने गल्ले में रखे 29 हजार रूपए निकाल लिए तथा दुकान के अंदर रखे सामान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान ठेका संचालक अमीलाल ने बाहर से आवाज लगाई तो हाथ छुडवाकर बाहर आया पीछे-पीछे धर्मवीर उर्फ धर्मा व यादराम भी आ गए। अमीलाल ने बताया कि धर्मवीर उर्फ धर्मा ने कहा कि ठेका चलाना है तो 20 हजार रूपए मंथली देनी होगी। नहीं तो ठेका नहीं चलने देंगे। मंथली देने से मना करने पर धर्मा ने पिकअप गाड़ी के शीशे पर फायर कर मोटर साईकिल पर बैठ के फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों के भागते समय उनके हाथ से 26 हजार वहीं गिर गए और तीन हजार लेकर भागने लगे। उनके साथ तीन अन्य भी थे। इसके बाद आरोपी केसीसी स्थित आवासीय क्वार्टर पर पहुंचे। जहां उन्होंने घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे के शीशे पर फायर की वारदात को अंजाम दिया। पीछे के शीशे को तोड़ते हुए गोली का खोल सामने वाले शीशे के टकरा कर गाड़ी में गिर गया। शराब ठेकेदार अमीलाल की ओर से रिपोर्ट दी की रात को जब वह ठेके पर गया तो ठेके की लाइट बंद देख कर सेल्समैन को आवाज लगाई तो वह घबराया हुआ। अंदर से बाहर आया और घटना की पूरी जानकारी दी।

जयपुर से आई टीम ने किया निरीक्षण

मंडावा, (निसं)। शहर में नई जलापूर्ति व सीवरेज परियोजना के कार्य कर रही राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा उपभोक्ताओं की सेवा के लिए कई कार्य प्रगति पर है। कांट्रेक्टर भुजंग राव के नेतृत्व में जयपुर से आई टीम ने प्रगति पर कार्यों का निरीक्षण किया। साइट इंजीनियर अदनान सिद्धकी ने बताया कि मंडावा के जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में उपभोक्ता सेवा एवं प्रबंधन केंद्र का कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है जहां पर पेयजल एवं सीवरेज से संबंधित लोगों की समस्याओं व शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा और इसके अलावा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में नए जल कनेक्शन व उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित कार्य होंगे तथा मुख्य नियंत्रण कक्ष में पंप हाउस को कंट्रोल करने संबंधित कंप्यूटराइज कार्य होगा जिसमें पेयजल सप्लाई से संबंधित कार्य प्रमुख है। साथ ही साढे 5 लाख लीटर पानी स्टोरेज के लिए टैंक का निर्माण कार्य भी किया गया है जहां से घरों व अन्य टंकियों में पानी सप्लाई होगा।

श्रमिकों को दी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

मंडावा, (निसं)। शहर में नई पेयजल वितरण प्रणाली व सीवरेज परियोजना के कार्य कर रही राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत रूडिप के अधिशाषी अभियंता दिनेश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को मंडावा शहर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पर परियोजना में कार्यरत श्रमिकों के साथ जागरूकता एवं अनुभव साझा करने के लिये एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएमएससी के सामाजिक व पर्यावरण विशेषज्ञ योगेश आत्रेय ने श्रम के महत्व पर बोलते हुए कहा कि बिना मजदूर के विकास की बात करना ही बेमानी होगा, सभी प्रकार के विकास काम श्रमिकों द्वारा ही किये जाते है व श्रमिकों हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्य के दौरान हैलमेंट, दस्ताने, गमबूट, जैकेट, हाईट पर काम करते समय सेफ्टी बैल्ट काम में लेने, शौचालय का सही तरीके से उपयोग करने, सुरक्षा का

मंडावा में श्रमिकों को सुरक्षा के लिए जागरूक करते आरयूआईडीपी के अधिकारी अनिल रूहेला व योगेश आत्रेय (दाएं बीच में)।

महत्व, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व आदि पर भी बताया। सीएपीपी इकाई के सामुदायिक विकास अधिकारी अनिल रूहेला ने परियोजना श्रमिकों को श्रम का महत्व, मजदूरों के अधिकार एवं कर्तव्य, श्रमिकों हेतु जन कल्याणकारी योजनाए, कार्य के दौरान सुरक्षा का महत्व, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, मौसमी बीमारियों से बचाव, महिला श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाए, यौन रोगों से बचाव व व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। निविदा फर्म के आऊट रीच टीम की सदस्या संजु चेजारा व सुनीता परिहार ने श्रमिकों को बताया कि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ ही सामूहिक साफ - सफाई पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, हमें खाने से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिये।

बिजली टॉवर पर चढ़ा युवक

चूरू, (कासं)। जिले के भानीपुरा थाना पुलिस ने पल्लू से सरदारशहर हाईटेंशन विद्युत के टॉवर से के पर चढ़े एक जने को नीचे उतार कर जान बचाई। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू राजेश कुमार मीना आई.पी.एस ने बताया कि श्राजेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू, हिमांशु शर्मा आरपीएस वृताधिकारी वृत सरदारशहर के निकटतम सुपरविजन में गत दिवस पुलिस थाना भानीपुरा टीम द्वारा मेगा हाईवे रोडवेज बस स्टेण्ड सावर के पास पल्ल स सरदारशहर हाईटेंशन बिजली लाईन के टावर के ऊपर चढे व्यक्ति को ग्रामीणो की मदद से समझाईश कर निचे उतारकर नाम पता पूछा तो अपना नाम दिनेश पुत्र मोडुराम जाति नायक निवासी साडासर होना बताया। जिसको बाद समझाईस कर पिता मोडुराम को सुपुर्द किया गया।

युवक से मारपीट का मामला

चूरू, (कासं)। जिला मुख्यालय पर फतेहपुर से बारात में आएं युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया हैं। जहां पर चोटिल युवक को उसके रिश्तेदारों ने भरतिया अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना की सूचना के बाद एएसआई गिरधारी सैनी ने अस्पताल पहुंच कर घटना की जानकारी प्राप्त की है। कोतवाली एएसइआई गिरधारी सैनी ने बताया कि घायल युवक रिश्तेदारी में शादी समारोह में फतेहपुर से आया था। फतेहपुर से बारात चूरू आई थी। जहां भरतिया रोड पर न्यू मुंबई हॉटेल के पास डीजे की बात को लेकर विवाद हो गया। जिस पर छह युवको ने उसके साथ मारपीट की। उसने बताया कि उकत युवक उससे पुरानी रंजिश रखते हैं।

SUDESH ASSOCIATES

Advocate ad Law Consultant

क्रमांक :-SPL/june-23/101

दिनांक 16.06.2023

सार्वजनिक सूचना बाबत मुख्त्यारनामा आम दिनांक 18.01.2022 के निरस्तीकरण

हर आम व खास को सूचित रहे कि मेरे अभिभाष्य श्री विजय कुमार पुत्र श्री पोखरमल सैनी, निवासी वार्ड नम्बर 3, पोस्ट भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ (आधार संख्या 7782 1218 8894) की वाके ग्राम कस्बा चूरू के अग्रसेन नगर की दक्षिण की ओर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1005 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा का 5 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 1/2 भाग जरिये इकरारनामा दिनांक 14.07.2011 के द्वारा खातेदार रफीक अहमद पुत्र स्व. श्री अब्दुल करीम निवासी- चूरू से क्रय की हुई है तथा अग्रसेन नगर के ही भूखण्ड संख्या ई-51 की पूर्वी तरफ की 20X55 फीट नाप कुल 1100 वर्गफीट का 1/2 भाग अर्थात 550 वर्गफीट का भूखण्ड जरिये इकरारनामा दिनांक 01.01.2001 के द्वारा नंदलाल भरतीये पुत्र श्री छगन लाल भरतीये, डायरेक्टर अमरकाल व्यापार प्रा. लि. से खरीदशुदा है तथा उक्त दोनों भूखण्डों पर मेरे अभिभाष्य का भौति एवं वास्तविक कब्जा है।

यह कि मेरा अभिभाष्य काम-काज के सिलसिले में जयपुर व भादरा में निवासरत रहने के कारण उक्त अचल सम्पति की देखभाल एवं समुचित प्रबंधन हेतु एक मुख्त्यारनामा आम 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर क्रमांक 9338 पर दिनांक 18.01.2022 को अपने विश्वस्त एवं निजी व्यक्ति श्री अनिल बालाण पुत्र स्व. पेमाराम सैनी, निवासी-चूरू जिला चूरू के पक्ष में लिखकर उसे अपना मुख्त्यारआम नियुक्त किया था, जिसे मेरे अभिभाष्य ने दिनांक 31.03.2022 को निरस्त कर प्रत्याहृत कर लिया था, जिसकी सूचना उक्त मुख्त्यारआम एवं अन्य लोगों को हैं किन्तु मेरे अभिभाष्य ने अपने पारिवारिक कारणों के कारण उक्त सूचना किसी सार्वजनिक सूचना पत्र में प्रकाशित करवाकर हर आम एवं खास को सूचित नहीं कर पाया था, जो कि आज दिनांक को उक्त मुख्त्यारनामा आम दिनांक 18.01.2022 के निरस्तीकरण बाबत सार्वजनिक सूचना इस आशय की प्रसारित की जाती है कि उपरोक्त वर्णित मद में उल्लेखित की गई सम्पति के संबंध में मुख्त्यारआम श्री अनिल बालान पुत्र श्री पेमाराम सैनी, निवासी- चूरू को दिनांक 31.03.2022 के बाद से उसकी समुचित देखभाल एवं प्रबंधन के संबंध में कोई हक-अधिकार नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्ति अथवा संस्था उक्त संबंध में कोई संव्यवहार दिनांक 31.03.2022 के बाद से अनिल बालाण से करने को कानूनी रूप से अधिकृत है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था उक्त सम्पति के संबंध में कोई संव्यवहार या लेन-देन उक्त अनिल बालाण से कतरा है तो वह कानूनी रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संव्यवहार या लेन-देन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था की होगी। सूचित रहे।

भवदीय
(सुदेश कुमार सैनी)
एडवोकेट

भाजपा ने मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

झुंझुनूं, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी की चौथी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय पीरू सिंह सर्किल स्थित खाना खजाना रेस्टोरेंट में जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया की अगुवाई में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

इस मौके पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने कहा कि मदनलाल सैनी सादा जीवन एवं विराट व्यक्तित्व के धनी थे। वे संघ व संगठन निष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का निर्माण किया था। उन्हें संगठन कार्यकर्ताओं का शिल्पकार कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। उन्होंने जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं का पालन किया तथा बडी संख्या में कार्यकर्ताओं को तैयार किया। इनके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनवारी लाल

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

सैनी, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विश्वंभर पूनिया, नगर मंडल अध्यक्ष कमल कांत शर्मा, भाजपा नेता बबलू चौधरी, राजीव चौधरी, बुधराम सैनी, सुरेंद्र सिंह छावसरी, जगदीश सै